सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 20, सोमवार, *शाके* 1946-जून 10, 2024 *Jyaistha 20, Monday , Saka 1946- June 10, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 10, 2024

जी.एस.आर.05 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 से सलंग्न अनुसूची में, शीर्ष "राजस्थान विधान सभा सचिवालय सेवा" के अधीन क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ 3 में, विद्यमान मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(क) राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश संवर्ग के किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा।"

[सं.एफ.8(1)संसद/2024]

राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेन्द्र जैन,

प्रमुख शासन सचिव

संसदीय कार्य विभाग।

Parliamentary Affairs Department
NOTIFICATION
Jaipur, June 10, 2024

G.S.R.05 .-In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan, after consultation with the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Schedule.-** In Schedule appended to the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, under the heading "Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service", the existing item (a) in column 3, against serial number 2 shall be substitued by the following, namely:-

"(a) By deputation or transfer of an officer of the District Judge cadre of the Rajasthan Judicial Services."

[No. F.8(1)Sansad/2024]
By order of the Governor,

Brajendra Jain,
Principal Secretary to the Government
Parliamentary Affairs Department.

Government Central Press, Jaipur.